रूप पत्र–1

लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
निःशुल्क बोंरिग हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,
खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड.....
जनपद.....

महोदय,

मै.....पुत्र/पत्नी श्री.....जाति.....(सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) निवासी ग्राम.....विकास खण्ड.....जनपद.....उत्तर प्रदेश,लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिग योजना के अन्तर्गत् खसरा संख्या.....में निःशुल्क बोंरिग कराकर सिंचाई सुविधा का लाभ उठाना चाहता हूॅ।

1– मेरे पास उत्तर प्रदेश भर में कुल.....हेक्टेयर भूमि है तथा कृषि के अतिरिक्त मेरी वार्षिक आमदनी रू0.....मात्र है।

2– मुझे सिंचाई सुविधा हेतु किसी अन्य विभाग अथवा योजना द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत् कोई लाभ नही मिला है।

3– मै सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूॅ। मै वर्तमान में पम्पसेट स्थापित नही कराना चाहता हूॅ।पम्पसेट किराये पर लेकर निःशुल्क बोंरिग का उपयोग सिंचाई हेतु करूगॉ।

अथवा

मै सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूॅ। मैं बैंक के माध्यम से विद्युत/डीजल पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रस्तुत कर दूॅगा तथा दो माह में पम्पसेट स्थापित करा लूगॉ।

अथवा

मै सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूॅ। मैं नगद क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत् 02 माह में पम्पसेट स्थापित करा लूॅगा।

4– मै इस योजना हेतु शासन एंव विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों तथा शर्तो का पालन करूॅगा।

संलग्नकः– राजस्व विभाग के भूमि सम्बन्धी अभिलेख।

दिनांक.....

ह0कृषक

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/बोंरिग टेक्नीशियन की आख्याः-

कृषक का कथन सत्य है, उसे सिंचाई सुविधा हेतु किसी अन्य विभाग अथवा योजना द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत् लाभान्वित नही किया गया है। इनके प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है इनका नाम ग्रम..... .....की चयनित सूची के क्रमांक.....पर अंकित है।

नाम कर्मचारी.....

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/
बोंरिग टेक्नीशियन/स0बो0टे0

अवर अभियन्ता (ल.सि.)की आख्याः-

मैनें कृषक द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है।इनका प्रार्थना पत्र योजना के अन्तर्गत् निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। अतः स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

अथवा

प्रार्थना पत्र निम्न कारणों से अस्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

नाम अवर अभियन्ता(ल.सि.).....

ह0अवर अभियन्ता(ल.सि.)

खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुतिः-

सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई जनपद.....

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/बोंरिग टेक्नीशियन तथा अवर अभियन्ता(ल.सि.)की संस्तुति तथा कार्यालय अभिलेखों के आधार पर कृषक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने योग्य है। अतः निःशुल्क बोंरिग योजना के अन्तर्गत् बोंरिग कराने की संस्तुति की जाती है।

अथवा

निम्न कारणों से बोंरिग प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

नाम खण्ड विकास अधिकारी.....
दिनांक.....

ह0खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड.....

सहायक अभियन्ता(ल.सि.) की स्वीकृतिः-

उपरोक्त संस्तुति के आधार पर कृषक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

नाम सहायक अभियन्ता(ल.सि.).....

ह0सहायक अभियन्ता(ल.सि.)
जनपद.....

जो लागू न हो उसे काट दें।